न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– अशोक कुमार सांखला,आर0ए0एस0)

अपील संख्या :– 95/2010 अन्तर्गत धारा 223 आर0टी0एक्ट

उनवान :– 1. कृष्णा देवी स्त्री श्री सुबेसिंह जाति अहीर निवासी मुण्डिया खेड़ा, तहसील बहरोड़ जिला अलवर (राज0)

––प्रतिवादी/अपीलान्ट

बनाम्

1. इन्द्रावती उम्र 40 वर्ष स्त्री रामौतार जाति अहीर निवासी मोहलड़िया तहसील बहरोड़, जिला अलवर (राज0)
2. रामरती उम्र 38 वर्ष स्त्री जयसिंह जाति अहीर निवासी मोहलड़िया तहसील बहरोड़, जिला अलवर (राज0)

––वादीगण/रेस्पोडेन्ट

3. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार साहब बहरोड़, जिला अलवर(राज0)

–– रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ दिनांक 24.02.2010

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांट :– श्री दिनेश यादव

2. वकील रेस्पो0 :– श्री दाताराम यादव

निर्णय **दिनांक–** 18.02.2021

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

1. प्रस्तुत अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बहरोड द्वारा राजस्व वाद सं0 409/2007 में पारित निर्णय दिनांक 24.02.2010 के खिलाफ है, जिसके द्वारा वाद डिक्री किया गया है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि तहत अदालत में आराजी खसरा नं0 हाल रकबा 222 एंव 223 वाके ग्राम मुण्डिया खेडा तहसील बहरोड़ की बाबत वाद पेश किया, जिसमें अपीलाधीन निर्णय द्वारा तकसीम की डिक्री पारित की गई है।

3. बहस में विद्वान वकील अपीलांट का कथन है कि अपीलाधीन निर्णय जानकारी वकील ने समय पर नहीं दी। इसलिये देरी को माफ किया जाये। ना तो तनकिया बनाई, ना प्राथमिक डिक्री बनाई। हमको सुनवाई का अवसर नहीं किया। हमारा कब्जा जिस दिशा में था, वहां हमको भूमि नही दी। तहत अदालत का निर्णय विधिसम्मत नही है। अतः अपील स्वीकार किया जावे।

4. वकील रेस्पो0 का कथन है कि इनको सुनवाई हेतु तलब किया गया था। रेकार्ड एवं मौका अनुसार विभाजन किया गया है। अपील मियाद बाहर है। अतः अपील खारिज की जावे।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्को पर गौर किया। माननीय बी0 ओ0 आर0 ने मियाद बिन्दू पर नरम रूख अपनाने के सिद्धान्त प्रतिपादित किये है। अतः नरम रूख अपनाकर देरी को माफ किया जाता है।

6. इसके पश्चात प्रकरण के गुणावगुण पर गौर किया। अपीलाधीन निर्णय का अवलोकन किया तो पाया कि प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा पेश कर दिया गया।

7. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहत अदालत के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.02.2010 निरस्त किये जाते हैं तथा प्रकरण तहत

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

अदालत को रिमांड कर आदेशित किया जाता है कि वो प्रकरण में दावे एंव जवाब दावे के आधार पर तनकियात कायम कर तनकीवार प्राथमिक डिक्री पारित करें। तत्पश्चात विभाजन के नियमों के नियम 18 से 21 की पालना में अंतिम डिक्री पारित करें। उभयपक्ष वास्ते सुनवाई तहत अदालत में दिनांक ......18.03.2021...... को उपस्थित हों।

8. निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो।

(अशोक कुमार सांखला)

भू–प्रबंध अधिकारी एव पदेन
राजस्व अपील अधिकारी अलवर